अधिसूचना

(अधिनियम 30 / 2013 की धारा 25 के अधीन)

अधिसूचना सं0–ह0बाग / भूअ0 / 2017 / .... दिनांक:**20/07/2017**

चुकिं ग्राम चरही , थाना सं0 21, थाना माण्डु , अंचल चुरचु जिला हजारीबाग में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ, यथा चरही थाना भवन निर्माण परियोजना हेतु कुल 1.36 एकड भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है। जिसका अधिसूचना एवं अधिघोषणा दिनांक 25.08.2014 को हुआ था। भू–अर्जन अधिनियम में उल्लेखित प्रार्वधानों के अन्तर्गत पंचाट की घोषणा दो वर्ष के अन्दर किया जाना था परन्तु आबंटन ससमय उपलब्ध नहीं होने के कारण अभिलेख कालबाधित होकर व्ययगत् हो गया। परन्तु अधियाची विभाग द्वारा कुल 2,37,95,622.00 (दो करोड सैतीस लाख पनचानवे हजार छः सौ बाईस रूपये) बुक ट्रांसफर के माध्यम से उपलब्ध कराते हुए लिखित रूप में संबंधित भू–रैयतों को मुआवजा भुगतान हेतु अनुरोध की गई है, साथ ही परियोजना लोक प्रयोजनार्थ, विधि व्यवस्था एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा से संबंधित है। जानबुझकर अभिलेख की कार्रवाई में विलम्ब नहीं की गई है एवं अधिग्रहण की प्रतीक्षा में पुराने भवन मे थाना का दयनीय रूप से संचालन किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में लाभुक के हित को भी ध्यान में रखते हुए भूमि का अर्जन का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में समुचित सरकार भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम 2013 के धारा 25 के तहत् प्रायोजित शक्ति का प्रयोग करते हुए **अभिलेख को व्ययगत् की तिथि से 12(बारह) मास की अवधि विस्तार** की स्वीकृति दी गई है।

यह अधिसूचना भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम 2013 (अधिनियम सं0 30 / 2013), की धारा –25 के उपबंधों के अधीन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,
हजारीबाग।